विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0025212

मेसर्स वर्धमान यार्न्स,
प्लाट नं. ए 1–ए 6,
इण्डस्ट्रियल एरिया–II, – आवेदक
सतलापुर, मण्डीदीप (म.प्र.)

विरूद्ध

महाप्रबंधक (संचा./संधा.)वृत्त,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, – अनावेदकगण
भोपाल (म.प्र.)

(आदेश दिनांक 17.10.2012)

आवेदक ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के प्रकरण क्रमांक C0103011 मेसर्स वर्धमान यार्न्स विरूद्ध महाप्रबंधक (संचा./संधा.) वृत्त, म.प्र. मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) के आदेश दिनांक 20.06.2012 से व्यथित होकर उक्त अभ्यावेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

2. आवेदक ने अपने विद्युत संयोजन पर अनावेदक द्वारा विद्युत टैरिफ आदेश 2009–10 के क्लाज 1.17 सी के तहत की गई बिलिंग से व्यथित होकर अपनी शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया था । आवेदक का अस्थायी कनेक्शन जो 400 केवीए का था बाद में आवेदक ने उक्त कनेक्शन को जुलाई 2009 से 150 केवीए में अस्थायी कनेक्शन 30.06.10 तक स्वीकृत कराया था । आवेदक के मीटर में 01.03.10 को 331 केवीए अधिकतम मांग दर्ज हुई । इस अवधि में आवेदक की संविदा मांग 150 केवीए दर्ज होने पर अनावेदक कम्पनी द्वारा मार्च, 2010 में विद्युत देयक 3,92,945/– प्रस्तुत किया, जिसका की अनावेदक कम्पनी से पत्राचार करने पर उसको संशोधित विद्युत देयक 15,15,437/– जारी किया गया, जिससे कि व्यथित होकर आवेदक ने अपना अभ्यावेदन फोरम में प्रस्तुत किया । आवेदक का कथन था कि उसके द्वारा उक्त मांग के विद्युत संयोजन का उपयोग नहीं किया गया है । उसे जो पूरक बिल जारी किया गया है वह अपास्त किया जाए ।

3. अनावेदक ने आवेदक द्वारा अभिकथित किये गये विवाद्यक बिन्दुओं का विरोध किया कि घटना दिनांक को स्वीकृत भार डिमाण्ड से लगभग दुगुनी मांग 13 घंटे रही जो कि एक छोटे से बैल्डिंग ट्रांसफार्मर के शार्ट–सर्किट होने से संभव नहीं है तथा कार्यपालन यंत्री द्वारा मीटर परीक्षण संभाग – 2 द्वारा करने पर यह तथ्य सामने आया कि स्थायी कनेक्शन हेतु स्थापित मीटर सही हालत में कार्य कर रहा था । आवेदक द्वारा अनुबंधित क्षेत्र से बाहर जाकर विद्युत का उपयोग करने पर अधिक मांग 333 केवीए आया जो कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है । अनावेदक द्वारा उसके कार्यालय के पत्र क्रमांक 2984 दिनांक 03.02.12 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के

.....निरन्तर

तहत नोटिस जारी किया गया था तथा बाद में उक्त प्रकरण में धारा 126 में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका आधार कार्यपालन यंत्री विरूद्ध सीताराम राईज मिल्स (सिविल अपील 8859/2011) उच्चतम न्यायालय आदेश को आधार माना गया ।

4. उभयपक्ष को सुनने के बाद फोरम ने यह निर्णय दिया कि उक्त प्रकरण धारा 126 में पंजीकृत किया जा चुका है तथा अपीलीय अथॉरिटी की धारा 127 में दर्ज कराया जा चुका है । दोनों सविधिक निकाय में एक साथ एक ही विवाद पर प्रकरण दायर हो गया है । अतः विद्युत अधिनियम, 2003 के दिशा–निर्देशों की गरिमा तथा धारा 126 के अंतर्गत दायर प्रकरण फोरम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न होने के कारण फोरम प्रकरण समाप्त करता है ।

5. उक्त आदेश से व्यथित होकर अपना आवेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया कि माननीय फोरम में लंबित प्रकरण में अनावेदक मनमाने ढंग से कभी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा क्रमांक 135 तो कभी धारा क्रमांक 126 का प्रकरण वाद लंबित रहने के दौरान बना देंगे और माननीय फोरम के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर देंगे, जिससे माननीय फोरम के गठन का विधि का आशय समाप्त हो जावेगा ।

6. **मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि :–**

क्या विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल – ग्वालियर क्षेत्र को आवेदक उपभोक्ता की शिकायत का निवारण करने का क्षेत्राधिकार है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :

7. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का आदेश जिसके विरूद्ध यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि अन्तर–वस्तु का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण इस आधार पर नहीं किया है, क्योंकि विद्युत वितरण कम्पनी अर्थात् अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के विरूद्ध धारा 126 भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है और धारा 126 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही के संबंध में फोरम को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है । यद्यपि फोरम ने यह माना है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी ने उपभोक्ता आवेदक को जो विद्युत देयक सबसे पहली बार भेजा गया उस पर गम्भीरतापूर्वक विवेक का उपयोग नहीं किया गया है तथा बार–बार विभिन्न धाराओं का उपयोग कर बिल बनाया गया है ।

8. उपभोक्ता फोरम के उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया जाना उचित होगा । धारा 126 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी स्थान या परिसर का निरीक्षण किये जाने पर यह पाया जाए कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा विद्युत का अप्राधिकृत/अनाधिकृत उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध भुगतान योग्य विद्युत चार्जेज का अंतर्कालीन निर्धारण किया जा सकता है ।

9. इस मामलें में आवेदक उपभोक्ता की शिकायत तथा फोरम के आदेश का अवलोकन करने से प्रथमदृष्टाः यह पाया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आवेदक उपभोक्ता को विधिवत् विद्युत प्रवाह दिया जाना मंजूर किया गया था । आवेदक उपभोक्ता के आवेदन पर उसे स्वीकृत भार को घटाकर 150 केवीए का भार मंजूर किया गया था । दिनांक 01.03.2010 को अस्थायी विद्युत मीटर में अधिकतम विद्युत मांग 331 केवीए दर्ज होने के कारण संविदा मांग से अधिक मांग होना पाए जाने पर वर्ष

..... निरन्तर

2009–10 के लिये लागू टैरिफ आदेश के विनियम क्रमांक ए 1.17 सी के अनुसार उसे संशोधित विद्युत देयक जारी किया गया था । इस देयक के संबंध में आपत्ति किये जाने पर देयक को पुनः संशोधित कर देयक जारी किये जाने के कारण उपभोक्ता द्वारा उक्त देयक के संबंध में फोरम के समक्ष अपनी शिकायत लिखित रूप से दर्ज कराई गई थी । उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उसके विरूद्ध धारा 126 विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी ।

10. यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि उपभोक्ता ने अनाधिकारपूर्वक विद्युत का उपयोग नहीं किया था तथा वह स्वीकृत भार से अधिक विद्युत का उपयोग करने से प्रतिबंधित भी नहीं किया गया था । यदि ऐसा होता तो उपभोक्ता द्वारा 150 केवीए से बढ़कर 331 केवीए की विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाना पाये जाने पर उसके विरूद्ध सर्वप्रथम धारा 126 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर विद्युत के चार्जेज का अंतर्कालीन निर्धारण किया जाता, परन्तु ऐसा न किया जाकर उपभोक्ता से बढ़ी हुई दर से विद्युत बिल का भुगतान किये जाने का मांग–पत्र भेजा गया था ।

11. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा 5 के प्रावधानों के अनुसार वितरण लाईसेंसी द्वारा उपभोक्ताओं की तकलीफों/शिकायतों/व्यथा/दुखों का निवारण करने, उनको दूर करने के लिये मंच/फोरम की स्थापना की जायेगी । विधि के उक्त प्रावधान का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि विद्युत वितरण कम्पनी अर्थात् अनावेदक के द्वारा अपने उपभोक्ताओं की शिकायत का निवारण करने के लिये फोरम का गठन किया गया है । वितरण कम्पनी द्वारा गठित उक्त फोरम न्यायालय की परिभाषा में नहीं आता है । ऐसी स्थिति में फोरम पर यह दायित्व अधिरोपित होता है कि वह उपभोक्ता की शिकायतों का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर करे ।

12. भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विद्युत का अप्राधिकृत/अनाधिकृत उपयोग किया जाना पाये जाने पर विद्युत के चार्ज का जो अंतर्कालीन निर्धारण किया जाता है उनके संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार फोरम को नहीं है ? परन्तु, इस मामलें में उपभोक्ता के द्वारा अपनी शिकायत फोरम में प्रस्तुत करने के बाद वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता के विरूद्ध धारा 126 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । यह कार्यवाही उचित है अथवा नहीं ? इसका विनिश्चिय करने का अधिकार विद्युत अधिनियम 127 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित अपीलीय प्राधिकारी को है । अतः विद्युत वितरण कम्पनी/अनावेदक के द्वारा उपभोक्ता के विरूद्ध धारा 126 के अन्तर्गत जो कार्यवाही की गई है उसके संबंध में कोई निष्कर्ष दिये बिना फोरम को इस मामले में यह देखना था कि उपभोक्ता की शिकायत उचित है अथवा नहीं तथा प्रकरण के परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करना था, परन्तु फोरम ने अपने उक्त कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुए मात्र इस आधार पर शिकायत का निराकरण नहीं किया है कि विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित हो जाने के कारण उपभोक्ता द्वारा उसकी अपील करने के कारण दोनों सविधिक निकायों में एक साथ कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है ।

13. सिविल अपील क्रमांक 8859/2011 कार्यपालन यंत्री एवं अन्य विरूद्ध सीताराम राईज मिल्स में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि यदि विद्युत का अप्राधिकृत/अनाधिकृत उपयोग किया जाना पाया जाता है तो ऐसे उपभोक्ता के विरूद्ध धारा 126 के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित की जावेगी । परन्तु, इस मामले में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा

..... निरन्तर

उपभोक्ता के विरूद्ध सर्वप्रथम धारा 126 के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित नहीं की गई थी तथा उपभोक्ता द्वारा धारा 126 के अन्तर्गत संस्थित कार्यवाही की शिकायत फोरम के समक्ष नहीं की गई है । अतः माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश फोरम को इस मामले में कार्यवाही करने से प्रतिबंधित नहीं करता है ।

14. उपभोक्ता शिकायत फोरम का यह आदेश विधि के प्रावधानों के अनुकूल होना नहीं पाया जाता है । फोरम के समक्ष जो शिकायत की गई थी उस शिकायत का निराकरण फोरम को गुण–दोषों के आधार पर करना था । आवेदक उपभोक्ता को स्वीकृत भार से अधिक विद्युत का उपयोग करने के कारण बढ़ी हुई दर से विद्युत देयक का भुगतान करने का जो बिल जारी किया गया था, वह उचित था अथवा नहीं ? इस बिन्दु पर उपभोक्ता फोरम को विचार करना था और इसी विवादित विषय का निराकरण करना था, परन्तु फोरम द्वारा अपने उक्त कर्तव्य का पालन नहीं किया गया है ।

15. उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि आवेदक उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करने का क्षेत्राधिकार शिकायत निवारण फोरम को है । फोरम ने आवेदक उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण न करते हुए प्रकरण को समाप्त करने का जो निष्कर्ष दिया है वह निष्कर्ष विधि संगत नहीं है । अतः फोरम के उक्त आदेश को इस निर्देश के साथ अपास्त किया जाता है कि फोरम उपभोक्ता की शिकायत का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

16. आवेदक का अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है । प्रकरण पुनः सुनवाई के लिये उपभोक्ता विद्युत निवारण फोरम, भोपाल को प्रत्यावर्तित किया जाता है । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की प्रति संबंधित पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल